भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1010

28 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाना

1010. श्री नरेश बंसल:

श्रीमती रेखा शर्मा:

श्री शंभू शरण पटेल:

श्री चुग:

श्री मनन कुमार मिश्र:

श्री राजेश परमानंद शुक्ला:

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

श्री बाबू राम निषाद:

श्री मदन राठौड़:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत राज्यों को आवंटित कुल खाद्यान्न और प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 'राइटफुल टारगेटिंग' अभ्यास के अंतर्गत राज्यों में राशन कार्ड डेटाबेस से राज्य-वार कितने अपात्र लाभार्थियों को चिह्नित किया गया और हटाया गया;

(ग) क्या लाभार्थियों के निरंतर सत्यापन के लिए 'निर्मल' रियल-टाइम सत्यापन आर्किटेक्चर को राज्यों में उपलब्ध डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता में सुधार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित कुल खाद्यान्न **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना-4048-"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" के तहत जारी की गई राज्यवार केंद्रीय सहायता **अनुबंध-II** में दी गई है।

...2/-

(ख): 'राइटफुल टारगेटिंग' अभ्यास के अंतर्गत राज्यों में राशन कार्ड डेटाबेस से चिह्नित और हटाए गए अपात्र लाभार्थियों की राज्यवार संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

(ग) और (घ): निर्मल रियल-टाइम सत्यापन आर्किटेक्चर के अंतर्गत, कार्यक्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) लाभार्थी डेटाबेस की निम्नलिखित मंत्रालयों/संगठनों के डेटाबेस के साथ एकीकृत करना शामिल है:

- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए);
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी);
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस);
- वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) / केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी);
- वाहन डेटाबेस के माध्यम से सड़क परिवहन मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा;
- एग्री स्टैक के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय;
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ);
- गृह मंत्रालय;
- रक्षा मंत्रालय;
- रेल मंत्रालय; और
- डाक विभाग।

इन डेटा स्रोतों के एकीकरण से स्वचालित सत्यापन और अभिलेखों के क्रॉस-वैलिडेशन के माध्यम से संभावित अपात्र लाभार्थियों की निरंतर पहचान संभव हो पाती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, लाभार्थी डेटाबेस की सटीकता में सुधार होता है, राशन कार्ड रिकॉर्ड का नियमित अद्यतन आसान होता है और अपात्र लाभार्थियों को हटाने में सहायता मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे।

अनुबंध-I

राज्यसभा में दिनांक 28.07.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1010 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित कुल खाद्यान्न निम्नलिखित हैं:

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	1849.776	1849.776	1849.634
2	अरुणाचल प्रदेश	57.335	57.335	57.496
3	असम	1628.935	1631.749	1641.091
4	बिहार	5527.100	5527.100	5502.427
5	छत्तीसगढ	1384.056	1384.056	1384.056
6	दिल्ली	448.777	448.803	448.803
7	गोवा	34.398	34.398	34.398
8	गुजरात	2211.234	2263.346	2206.239
9	हरियाणा	795.000	795.000	795.000
10	हिमाचल प्रदेश	202.290	206.347	207.700
11	झारखंड	1751.020	1751.993	1751.668
12	कर्नाटक	2608.836	2608.836	2608.766
13	केरल	1025.518	1025.519	1025.519
14	मध्य प्रदेश	3436.082	3493.795	3491.536
15	महाराष्ट्र	4605.188	4605.188	4605.188
16	मणिपुर	136.286	138.037	140.489
17	मेघालय	140.733	140.733	140.733
18	मिजोरम	47.536	48.720	49.323
19	नागालैंड	91.585	91.585	91.584
20	ओडिशा	2251.617	2253.205	2251.807
21	पंजाब	870.120	870.120	870.120
22	राजस्थान	2770.584	2770.584	2770.584
23	सिक्किम	26.374	26.374	26.374
24	तमिलनाडु	2569.532	2572.807	2572.780
25	तेलंगाना	1296.051	1292.677	1292.520
26	त्रिपुरा	164.343	164.585	164.585
27	उत्तराखंड	401.458	401.458	401.458
28	उत्तर प्रदेश	9935.484	9950.393	9891.627
29	पश्चिम बंगाल	3970.620	3970.620	3970.620
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.374	4.374	4.374
31	चंडीगढ़ (डीबीटी)	0.000	0.000	0.000
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	15.128	15.128	15.128
33	जम्मू और कश्मीर	468.797	468.797	468.797
34	लद्दाख	9.444	9.444	9.444
35	लक्षद्वीप	1.522	1.522	1.522
36	पुडुचेरी (डीबीटी)	0.000	0.000	0.000
	कुल	52737.129	52874.401	52743.386

अनुबंध-II

राज्यसभा में 28.07.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1010 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार जारी की गई केंद्रीय सहायता राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	105.44	281.23	391.40
3	अरुणाचल प्रदेश	8.39	31.32	8.42
4	असम	321.75	443.94	324.42
5	बिहार	434.73	807.42	364.15
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	355.06	84.38	89.06
8	दिल्ली	0.00	175.18	46.78
9	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.87	1.89	0.00
10	गोवा	5.67	0.00	7.73
11	गुजरात	124.37	503.25	231.58
12	हरियाणा	45.78	308.83	34.18
13	हिमाचल प्रदेश	29.58	42.74	41.94
14	जम्मू एवं कश्मीर	139.96	89.82	54.54
15	झारखंड	99.64	101.25	431.25
16	कर्नाटक	148.70	112.18	671.32
17	केरल	403.63	72.07	84.69
18	लददाख	1.38	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	234.66	247.90	214.74
21	महाराष्ट्र	703.54	765.27	439.10
22	मणिपुर	36.46	0.00	29.41
23	मेघालय	20.59	33.54	32.80
24	मिजोरम	0.00	6.54	10.74
25	नागालैंड	31.42	30.74	15.85
26	ओडिशा	872.57	195.70	225.09
27	पुडुइचेरी	0.00	0.00	0.00
28	पंजाब	50.06	263.05	53.18
29	राजस्थान	479.15	257.65	311.15
30	सिक्किम	3.85	3.85	8.11
31	तमिलनाडु	145.90	524.60	92.66
32	तेलंगाना	378.50	111.84	75.54
33	त्रिपुरा	23.92	29.97	78.68
34	उत्तर प्रदेश	3213.86	614.57	683.67
35	उत्तराखंड	58.71	106.01	79.38
36	पश्चिम बंगाल	226.32	698.67	315.70
कुल जारी		**8704.46**	**6945.39**	**5447.25**

राज्यसभा में दिनांक 28.07.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1010 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राइटफुल टारगेटिंग अभ्यास के अंतर्गत राज्यों में राशन कार्ड डेटाबेस से हटाए गए अपात्र लाभार्थियों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	चिह्नित मामले	हटाए गए मामले
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	971	137
2	आंध्र प्रदेश	3,790,418	631,849
3	अरुणाचल प्रदेश	81,665	27
4	असम	3,595,862	1,300,729
5	बिहार	5,420,773	1,768,896
6	चंडीगढ़	61,481	16,629
7	छत्तीसगढ	317,215	209,940
8	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	39,395	9,637
9	दिल्ली	622,912	107,528
10	गोवा	42,546	3,247
11	गुजरात	5,509,230	1,558,704
12	हरियाणा	1,820,772	1,765,459
13	हिमाचल प्रदेश	532,435	36,992
14	जम्मू और कश्मीर	111,057	43,183
15	झारखंड	4,069,980	784,020
16	कर्नाटक	761,689	444,756
17	केरल	1,921,831	304,879
18	लद्दाख	3,529	677
19	लक्षद्वीप	4,714	3,933
20	मध्य प्रदेश	802,599	718,968
21	महाराष्ट्र	9,408,904	7,344,074
22	मणिपुर	48,673	8,800
23	मेघालय	49,455	2,071
24	मिजोरम	172,241	10,817
25	नागालैंड	86,572	17,022
26	ओडिशा	751,811	373,370
27	पुडुचेरी	16,654	1,217
28	पंजाब	2,211,899	281,892
29	राजस्थान	7,568,053	1,667,678
30	सिक्किम	38,134	4,734
31	तमिलनाडु	1,046,675	256,877
32	तेलंगाना	495,795	162,229
33	त्रिपुरा	105,000	52,204
34	उत्तर प्रदेश	5,480,518	3,121,226
35	उत्तराखंड	853,703	80,355
36	पश्चिम बंगाल	1,729,802	361,151
कुल योग		**59,574,963**	**23,455,907**
